कार्यालय :– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

–: कार्यालय आदेश :–

क्रमांक :– 37 दिनांक :– 25.03.25

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक Estt.(RJS)/146/2024 Date 23.10.2024 द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को दिया गया हैं। वर्तमान में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा स्वयं के न्यायालय के अतिरिक्त, सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर का कार्यभार होने से न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर का कार्य किया जाता है। इसी के साथ प्रशासनिक एवं प्रोटोकॉल संबंधी महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये जाने से कार्य की अधिकता रहती हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य के समानीकरण हेतु समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 01.04.2025 से न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act, 1881) के समस्त प्रकरण आगामी आदेश तक अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर में पेश किये जावें।

अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर ऐसे प्रकरणों का विधि अनुसार विचारण एवं निस्तारण करेंगे।

sd

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर

क्रमांक : स्था. / 2025 / 455–58 दिनांक : 25.03.25

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रदत्त है :–

1. समस्त अधीनस्थ / विशिष्ठ न्यायालय, अधिकरण तथा बोर्ड, न्यायक्षेत्र जैसलमेर।
2. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, जैसलमेर / पोकरण।
3. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जैसलमेर।
4. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर